

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात दिनांक- 20.01.2023

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता, थाना अकबरपुर पुलिस की कार्यवाही से लूट की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।
- लूट की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।
- 01 अदद पिकप मय चोरी के माल (कीमत करीब 2,50,000 रू**0/)** बरामद।
- अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी अकबरपुर श्री प्रभात कुमार के नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.01.2023 की रात्रि में थाना अकबरपुर के चौकी क्षेत्र बारा में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 18/2023 धारा 392 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। विववेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सौरभ सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी ग्राम कैराना थाना शिवली कानपुर देहात, 2. अंकित उर्फ सोहन पुत्र कैलाश कुमार निवासी ग्राम मड़ौली थाना रुरा कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनाँक 20.01.2023 की रात्रि को आई टी आई कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रूपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी।

पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि साहब हम लोगों को पैसे की बहुत आवश्यकता थी तो हम लोगों ने अपने दोस्त अजीत यादव पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि पान मसाला की गाड़िया टोल बचाने के लिये रास्ता बदल कर जाती हैं जिन्हें आसानी से लूटा जा सकता है और पैसा आसानी से मिलेगा तब हम लोग 13.01.2023 की रात को सोहन और अंकित की ऑटो से हम दोनों तथा अजीत निवासी दौलतपुर व अजीत के साथी सूरज जिसका गांव नहीं जानते हैं

चारों लोग बारा होते हुए परनामिनपुरवा से पहले ट्यूबवेल के सामने गाड़ी रोककर गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर चेक करने लगा तभी थोड़ी देर बाद SNK पान मसाला की गाड़ी आ गई किंतु रास्ता ना मिलने

कारण रुक गई तो हम लोगों ने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया तथा सौरभ और अजीत तमंचा लगाकर चालक और हेल्पर को उतार दिया दोनों के ट्यूबवेल के पीछे ले जाकर साड़ी से लिपटे रस्सी व धागे की रस्सी से बाँधकर हम लोग दोनों गाड़ी लेकर भाग गए और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0स0 028/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

- सौरभ सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी ग्राम कैराना थाना शिवली कानपुर देहात।
- अंकित उर्फ सोहन पुत्र कैलाश कुमार निवासी ग्राम मड़ौली थाना रुरा कानपुर देहात।

बरामदगी -

- 01 अदद पिकप मय चोरी के माल सहित
- 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण-

- नि0 श्री प्रमोद कुमार शुक्ला प्रभारी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- उ0िन0 श्री मथुरा प्रसाद थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
- उ0िन0 श्री राकेश सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- उ0नि0 श्री कौशल कुमार चौकी प्रभारी बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- उ0िन0 श्री संजीव कुमार चौकी प्रभारी जैनपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
- हे0का0 314 राजकुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- हे0का0 45+9 अरविन्द कुमार कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
- का० ८२ सुनील कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- का0 1216 सोनू कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- का0 710 शिवाकान्त थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।